राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........1369/2014.............................. जिला ....जयपुर...

उनवान . मै0 सी.आर.आई. पम्प्स प्रा0 लि0, सी–25, प्रथम तल, रोड़ नं0 1, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
09/03/2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 217/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.6.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, तृतीय, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.3.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि रूपये 30,597/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.3.2013 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या एच.आर.55/जे–7022 को चैक किये जाने पर वाहन में परिवहनित माल **'सबमर्सिबल पम्प, आयरन पाउडर व ऐक्रिलिक रेजिन'** में से आयरन पाउडर व ऐक्रिलिक रेजिन से सम्बन्धित घोषणा–पत्र वैट–47 प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसका पृथक से प्रशमन करवाया गया। इसके अतिरिक्त सबमर्सिबल पम्प से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 1909251 के पार्ट–'ब' व 'स' पूर्णतया रिक्त पाये गये। कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा नया घोषणा–पत्र वेट–47 1909276 तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया। सक्षम अधिकारी ने वक्त जांच प्रस्तुत किये गये घोषणा–पत्र को रिक्त होने से एवं नोटिस की पालना में प्रस्तुत घोषणा–पत्र को पश्चातवर्ती सोच का परिणाम मानते हुए अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 20.03.2013 पारित करते हुए वैट रूपये 4434/– एवं शास्ति रूपये 26,606/– कुल रूपये 31,040/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2014 से अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। **लगातार..........2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1369/2014.............................. जिला ....जयपुर..

उनवान : मै0 सी.आर.आई. पम्प्स प्रा0 लि0, सी–25, प्रथम तल, रोड़ नं0 1, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09/03/2015	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रकरण में धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 26,606/– की सीमा तक सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है, जबकि वैट राशि रूपये 4,434/– की सीमा तक सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः वैट राशि **रूपये 4,434/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। शास्ति राशि रूपये 26,606/– की सीमा तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 14.05.2015 को एकलपीठ कैम्प–जयपुर के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। (हस्ताक्षर) 09.03.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	